न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या–5/2002
आरसीएमएस नं. 1980/00001

1– हुणताराम पुत्र स्व0 श्री खुमाणाराम जाति जाट निवासी कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़–(फौत दिनांक 16.04.2005)

1/1– सहीराम पुत्र स्व0 श्री हुणताराम पुत्र स्व0 श्री खुमाणाराम जाति जाट निवासी कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

1/2– पेमाराम स्व0 श्री हुणताराम पुत्र स्व0 श्री खुमाणाराम जाति जाट निवासी कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (फौत दिनांक 26.01.2021)

1/2/1–रामप्यारी पत्नी स्व0 श्री पेमाराम पुत्र स्व0 श्री हुणताराम जाति जाट निवासी कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

1/2/2–हेतराम पुत्र स्व0 श्री पेमाराम पुत्र स्व0 श्री हुणताराम जाति जाट निवासी कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

1/2/3–हंसराज पुत्र स्व0 श्री पेमाराम पुत्र स्व0 श्री हुणताराम जाति जाट निवासी कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

1/2/4–विद्यादेवी पुत्री स्व0 श्री पेमाराम पत्नी श्री बंशीलाल जाति जाट (बराला) निवासी अर्जनसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

1/2/5सोना पुत्री स्व0 श्री पेमाराम पत्नी श्री मामराज जाति जाट (भादू) निवासी अमरपुरा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

1/2/6–संतोष पुत्री स्व0 श्री पेमाराम पत्नी श्री बेगराज जाति जाट (भादू) निवासी अमरपुरा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

1/2/7–धापीदेवी पुत्री स्व0 श्री पेमाराम पत्नी श्री मानाराम जाति जाट (बराला) निवासी अर्जनसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

1/3–आदुराम
1/4–मुखराम
1/5–परमेश्वरी
1/6–चावली
1/7–चन्दाराम
1/8–साहबराम
1/9–बिरमा
1/10–मीरां

पुत्रगण वं पुत्रियां स्व0 श्री हुणताराम अकवाम जाट निवासीगण कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

2–मालुराम पुत्र श्री पदमाराम मृतक जरिये वारिसान

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2/1–तारूराम पुत्र स्व0 श्री मालूराम जाति जाट निवासी कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

2/2–रामूराम पुत्र स्व0 श्री मालूराम जाति जाट निवासी कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़–मृतक जरिये वारिसान।

2/2/1–विमला देवी पत्नी स्व0 श्री रामूराम जाति जाट निवासी कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

2/2/2–भजनलाल उम्र 14 वर्ष नाबालिगान जरिये कुदरती वली माता विमलादेवी पत्नी
2/2/3–गायत्री उम्र 12 वर्ष
2/2/4–सावित्री उम्र 10 वर्ष
2/2/5–पूजा उम्र 8 वर्ष
स्व0 श्री रामूराम जाति जाट निवासी कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

2/3–भूराराम पुत्र स्व0 श्री मालूराम जाति जाट निवासी कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

2/4–खिराज मृतक जरिये वारिसान
2/4/1–रूघाराम
2/4/2–मोहर सिंह
2/4/3–मूलाराम
पुत्रगण स्व0 श्री खिराज जाति जाट निवासीगण कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

——अपीलाण्ट

बनाम

1– तेज सिंह पुत्रश्री गुलाब सिंह जाति राजपूत निवासी कलासर तहसील रावतसर–मृतक जरिये वारिसान।

1/1–मु0 राजकंवर बेवा स्व0 श्री तेज सिंह (फौत)
1/2–नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री तेज सिंह
1/3–खिराज सिंह पुत्र स्व0 श्री तेज सिंह
1/4–रतन सिंह पुत्र स्व0 श्री तेज सिंह
1/5–मु0 सांमकंवर पुत्री स्व0 श्री तेज सिंह
1/6–मु0 मीकूकंवर पुत्री स्व0 श्री तेज सिंह
सभी अकवाम राजपूत निवासीयान कलासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

2– भंवरी बाई पुत्री श्री गुलाब सिंह पत्नी श्री सरदारा सिंह जाति राजपूत निवासी राणोली जिला सीकर–मृतक जरिये वारिसान।

2/1–शिशपाल सिंह
2/2–अजीत सिंह
2/3–हनुमान सिंह
पुत्रगण स्व0 श्री सरदारा सिंह अकवाम राजपूत निवासी राणोली जिला सीकर।

2/4–मु0 विनोद कंवर
2/5–मु0 किरण कंवर
2/6–मु0 भंवर कंवर
पुत्रिया स्व0 श्री सरदारा सिंह अकवाम राजपूत निवासीगण राणोली जिला सीकर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3– मानाराम पुत्र श्री खुमानाराम जाति जाट निवासी कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़–मृतक जरिये वारिसान।

3/1–चुन्नीलाल पुत्र स्व0 श्री मानाराम पुत्र श्री खुमाणाराम जाति जाट निवासी कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ फौत (विलोपित)।

3/2–लेखराम
3/3–पूर्णराम
| पुत्रगण स्व0 श्री मानाराम पुत्र श्री खुमाणाराम जाति जाट निवासी कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

4– चेतनराम पुत्र श्री खुमाणाराम जाति जाट निवासी कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़–मृतक जरिये वारिसान।

4/1–मुखराम
4/2–सांवताराम
4/3–बीरबलराम
4/4–हनुमानराम
4/5–गोपीराम
4/6–पारादेवी
4/7–गोमीदेवी
4/8–गुड्डीदेवी
4/9–चानादेवी
| पुत्रगण व पुत्रियां स्व0 चेतनराम पुत्र श्री खुमाणाराम जाति जाट निवासी कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

5– पेमा पुत्र खुमानाराम जाति जाट निवासी कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़–मृतक जरिये वारिसान।

5/1–नन्दराम
5/2–सोहनराम
5/3–देदाराम
5/4–हीराराम
| पुत्रगण स्व0 श्रीमति पेमा पुत्री खुमाणाराम पत्नी स्व0 श्री मामराज जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

6– गीता
7– रूकमणी
| पुत्रिया खुमानाराम जाति जाट निवासीगण कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

8– देवीलाल पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पोडेंट

उपस्थित :– 1. श्री राजेन्द्र कुमार भुंवाल अधिवक्ता ——अपीलाण्ट की ओर से
2. श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता ——रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/6, 2/1 से 2/6

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 05.11.1979 न्यायालय सहायक कलैक्टर नोहर, राजस्व वाद संख्या 252/1977 शीर्षक "मालुराम आदि बनाम तेज सिंह आदि"

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

:: निर्णय :: दिनांक : 25.07.2022

1. अपीलाण्ट ने यह अपील न्यायालय सहायक कलैक्टर नोहर के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.11.1979 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसके अन्तर्गत अपीलाण्ट/वादीगण का बेदखली का वादपत्र खारिज किया गया है तथा इस निर्णय के अन्तर्गत खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा भूमि को आराजीराज घोषित किये जाने का आदेश पारित किया गया है।
2. इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.08.1977 को घोषणा एवं बेदखली का वादपत्र इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि उनके पूर्वज पदमाराम की गांव कलासर की रोही में खसरा नंबर 90 में 98 बीघा 19 बिस्वा भूमि थी। पदमाराम के देहान्त उपरान्त यह भूमि पदमाराम के पुत्रों खुमानाराम व मालूराम के नाम दर्ज हुई। वादपत्र में अपीलाण्ट ने यह कथन किया कि भू-प्रबंध विभाग ने पैमाईश के दौरान उक्त पुराना खसरा नंबर 90 की 98 बीघा 19 बिस्वा भूमि के नये खसरे नंबर 372 में 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 378 में 1 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 382 में 2 बिस्वा, खसरा नंबर 392 में 26 बीघा 9 बिस्वा व खसरा नंबर 393 में 67 बीघा 9 बिस्वा में परिवर्तित किये। इन खसरों में से खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा के अलावा शेष खसरों की भूमि तो खुमानाराम-मालूराम पिसरान पदमाराम के नाम दर्ज हो गई तथा खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा भूमि रेस्पोडेंट के पिता गुलाब सिंह ने भू-प्रबंध विभाग के अधिकारियों से साजिश रचकर पैमाईश के दौरान अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि भूप्रबंध विभाग ने इस भूमि का पर्चा लगान अपीलाण्ट के नाम जारी किया था। प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट के पिता श्री गुलाब सिंह ने उक्त खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा अपनी हकीयत की गलत व नियम विरूद्ध दर्ज करवाई है। गुलाब सिंह ने इस गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने का प्रयास करने पर अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस्तकरार हक व हुक्म इम्तनाई द्वामी का दावा दायर किया था तथा इस दावा में रेस्पोडेंट संख्या 1 तेज सिंह को पाबन्द भी किया गया था कि वह इस भूमि में हस्तक्षेप नही करे लेकिन तेज सिंह ने इस स्थगन आदेश की परवाह न कर जुलाई 1974 में इस भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया तब अपीलाण्ट ने इस वादपत्र को नया दावा प्रस्तुत करने की इजाजत लेकर दिनांक 14.07.1977 को वापिस लेकर यह नया दावा प्रस्तुत किया है। अपीलाण्ट/वादीगण ने खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा अपनी खातेदारी घोषित करने व रेस्पोडेंट को बेदखल कर कब्जा दिलाये जाने का अनुतोष चाहा।

Lavo
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. रेस्पोडेंट संख्या 1 तेज सिंह ने जबाव दावा प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के वादपत्र का विरोध किया तथा खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा से वादीगण का कोई ताल्लुक नहीं होने व इस भूमि पर बतौर जागीरदार काबिज होने व राजस्थान भूमि सुधार एंव जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम सन् 1952 के लागू होने के दिवस यह भूमि उनकी खुद काश्त की होने से उनकी खातेदारी व कब्जा काश्त की होने का कथन किया। इस भूमि पर वादीगण अथवा उनके पूर्वजों का कभी भी कब्जा नहीं होने के तथ्य प्रकट किये। भूप्रबंध से पूर्व भी यह भूमि खसरा नंबर 90 में गुलाब सिंह के कब्जा काश्त की थी तथा भूप्रबंध विभाग ने पूर्ण जांच कर इस भूमि का पर्चा लगान गुलाब सिंह पुत्र गोपाल सिंह के नाम जारी किया था। यह भूमि सम्वत् 2011 से ही गुलाब सिंह के कब्जा काश्त की थी। वादीगण का वादपत्र मियाद बाहर होने व जागीर की भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं होने की विधिक आपत्ति भी उठाई।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये :–

1. आया वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 से 9 आराजी मुतनाजा साबिका खसरा नंबर 90 की 98 बीघा 19 बिस्वा भूमि के जूज हाल खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा भूमि वाके रोही मौजा कलासर तहसील नोहर के खातेदार है? —वादी
2. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खिलाफ इस्तकरार हक व बेदखली का दावा लाने के मुश्तहक है?—वादी
3. आया आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पिता की जागीर भूमि थी तथा उसकी खुदकाश्त की भूमि होने से खातेदार काश्तकार है?—प्रतिवादीगण
4. आया वाद वादी मियाद बाहर है?—प्रतिवादीगण
5. आया वाद वादी इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है।
6. आया वाद वादीगण मोहमिल है बिला बेटर पर्टिकुलर चल नहीं सकता?—प्रतिवादीगण

5. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.11.79 को इस वादपत्र में निर्णय पारित कर विवाद्यक संख्या 1 व 2 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध तथा विवाद्यक संख्या 3 का निर्णय रेस्पोडेंट के विरूद्ध किया तथा विवाद्यक संख्या 4 से 6 का निर्णय रेस्पोडेंट के विरूद्ध कर वादीगण का वादपत्र खारिज करने के साथ साथ रेस्पोडेंट की जागीर भूमि जो उनके खुदकाश्त की थी, के संबंध में आराजीराज दर्ज करने के आदेश पारित किये।

6. उक्त निर्णय दिनांक 05.11.1979 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की। अपील में अपीलाण्ट का यह कथन रहा है कि उनकी खसरा नंबर 90 की 98 बीघा 19 बिस्वा भूमि हाल बंदोवस्त में नये खसरो में परिवर्तित हुई थी तथा बंदोवस्त विभाग ने खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा के सिवाय बाकी भूमि तो अपीलाण्ट के नाम दर्ज कर दी लेकिन

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा भूमि बिला अधिकार, गैरकानूनी व साजिशाना तौर पर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पिता गुलाब सिंह के नाम अंकित कर दी तथा इसी 26 बीघा 9 बिस्वा भूमि के संबंध में अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा व बेदखली का वादपत्र प्रस्तुत किया था। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को चुनौती देते हुये यह तथ्य अंकित किये है कि प्रश्नगत 26 बीघा 9 बिस्वा भूमि अपीलाण्ट की पुरानी खातेदारी थी तथा किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना बंदोवस्त विभाग ने उनकी इस भूमि की खातेदारी समाप्त करके गुलाब सिह के नाम अंकित कर दी तथा बंदोवस्त विभाग को कानूनन ऐसा अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि में अपीलाण्ट को खातेदार नहीं मानने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गिरदावरी का आधार लेकर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त न मानने में भूल की है जबकि गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 का निर्णय विधि विपरीत रूप से पारित किया है। अपीलाण्ट ने यह आधार भी लिया है कि उप जिलाधीश नोहर के कथित नोट व मौके की जांच आदि से अपीलाण्ट का कब्जा न मानकर यह भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी नहीं मानने में भी अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। उप जिलाधीश नोहर का कथित नोट कोई कानूनी कीमत नहीं रखता। अपीलाण्ट ने इस भूमि का सदैव लगान अदा किया है। अपीलाण्ट सम्वत् 2002 से हाल बंदोवस्त तक रिकार्ड में खातेदार अंकित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 2 के अन्तर्गत यही तय करना था कि प्रश्नगत भूमि का खातेदार अपीलाण्ट है अथवा गुलाब सिंह लेकिन इस बिन्दू पर कोई निर्णय पारित न कर तनकी संख्या 2 का फैसला विधि विरूद्ध दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 7 का निर्णय भी गलत पारित किया है तथा अपीलाण्ट का कब्जा नहीं मानने व खातेदारी नहीं मानने में भूल की है। अपीलाण्ट रेस्पोडेंट के विरूद्ध बेदखली की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि को आराजीराज दर्ज करने का निर्णय गलत पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादपत्र में सम्वत् 2012 की स्थिति के बारे में फैसला करने की कोशिश की है जबकि दावा की यह विषयवस्तु नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा सम्वत् 2012 में कब्जा अन्य का माना भी जावे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारी दी जा सकती थी जिसमें कोई प्रतिबंध नहीं था। उक्त आधार अंकित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

7. यह अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील संख्या 3/80 पर दर्ज हुई तथा दिनांक 27.08.1982 को एक पक्षीय निर्णय के अन्तर्गत यह अपील स्वीकार की गई तथा अपीलाण्ट के पक्ष में व रेस्पोडेंट के विरूद्ध बेदखली की डिक्री पारित की गई। रेस्पोडेंट ने उक्त निर्णय एवं डिग्री दिनांक 27.08.82 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील संख्या 203/82 प्रस्तुत की। इस अपील में दिनांक 22.12.1988 को निर्णय पारित किया गया तथा राजस्व अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अधिकारी बीकानेर का निर्णय व डिग्री दिनांक 27.08.1982 को निरस्त किया जाकर यह प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि अपीलाण्ट मलूराम की मृत्यु राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 27.08.82 से पूर्व हुई अथवा नहीं, के संबंध में जांच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु मामला रिमाण्ड किया गया तथा इस न्यायालय द्वारा मलूराम की मृत्यु तिथि जांच करने हेतु यह मामला अधीनस्थ न्यायालय का प्रेषित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर दोनो पक्षों की साक्ष्य लेकर दिनांक 27.12.1993 को निर्णय देते हुए मलूराम की मृत्यु दिनांक 05.12.1982 अर्थात् सम्वत् 2039 मिंगसर बदी 5 को होने का निष्कर्ष दिया तथा इस विवेचन के साथ पत्रावली पुनः इस न्यायालय में प्रेषित की। इसी बीच हनुमानगढ़ जिला का सृजन होने से यह अपील दिनांक 30.04.1994 को इस न्यायालय में अन्तरित हुई तथा अपील संख्या 243/1994 पर दर्ज हुई व पक्षकारों को नोटिस जारी करने के आदेश हुये। इस न्यायालय द्वारा आदेश 22 नियम 4 (4) सीपीसी के प्रावधानों की विवेचना कर पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 27.08.1982 को विधिसम्मत होना मानकर निर्णय दिनांक 21.06.1995 के अन्तर्गत यह अपील पुनः स्वीकार की गई। रेस्पोडेंट ने उक्त निर्णय व डिग्री दिनांक 21.06.1995 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 153/95 प्रस्तुत की। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने रेस्पोडेंट की यह अपील दिनांक 17.01.2002 को स्वीकार की तथा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिग्री दिनांक 21.06.1995 को निरस्त कर इस अपील को गुणावगुणों पर निर्णित करने हेतु रिमाण्ड किया। इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.11.1979 के संबंध में गुणावगुणों पर निर्णय किया जाना है।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने मौखिक बहस के साथ-साथ लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिये है कि अपीलाण्ट का साबिका खसरा नंबर 90 में 98 बीघा 19 बिस्वा भूमि थी तथा उनके पूर्वज पदमाराम के नाम गांव कलासर की रोही में उक्त खसरा नंबर 90 की 98 बीघा 19 बिस्वा राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज थी। पदमाराम के देहान्त होने के बाद यह भूमि उनके दो पुत्रों खुमाणा व मालुराम के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई तथा जमाबंदी सम्वत् 2013 ता 2016 में उनका नाम दर्ज था। तत्पश्चात उक्त खसरा नंबर 19 की 98 बीघा 19 बिस्वा भूमि के नये खसरा नंबर 362 में 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 378 में 0.078, खसरा नंबर 382 में 2 बिस्वा, खसरा नंबर 392 में 26 बीघा 9 बिस्वा व खसरा नंबर 393 में 67 बीघा 9 बिस्वा पर पैमूद हुई। बंदोवस्त विभाग ने खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा भूमि गुलाब सिंह के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय अपीलाण्ट के विरूद्ध करने में भूल की है। अपीलाण्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रदर्श 1 से प्रदर्श 7 दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे जिससे यह बखूबी साबित था कि प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में थी। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय ने खसरा नंबर 90 की 98 बीघा 19 बिस्वा से परिवर्तित हुये खसरों में खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा भूमि के अलावा शेष परिवर्तित खसरो को अपीलाण्ट के कब्जा काश्त की होना सही मान लेने के बावजूद खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर गुलाब सिंह का कब्जा नहीं मानकर इस भूमि को आराजीराज दर्ज करने का आदेश पारित कर भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने भूप्रबंध विभाग की अवैधानिक कार्यवाही को नजरअंदाज कर व इस भूमि पर पूर्व में अपीलाण्ट का कब्जा काश्त होने के बावजूद उनके पक्ष में बेदखली की डिक्री पारित नहीं करने में कानूनी भूल की है। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह तर्क रहा है कि रिपोर्ट पटवारी के अनुसार खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा भूमि का पुराना खसरा 90 ही था जो अपीलाण्ट की भूमि से संबंधित था। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी प्रदर्श 2 का विवेचन व विश्लेषण नहीं किया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह भी कथन रहा है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने विवाद्यक संख्या 3 के संबंध में पारित निर्णय जिसके अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि को आराजीराज घोषित किया गया, के संबंध में कोई अपील अथवा क्रोस ऑब्जक्शन भी पेश नहीं किया गया। यदि वास्तव में इस भूमि में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का हित नीहित होता तो वे निश्चित रूप से विवाद्यक संख्या 3 के निर्णय के विरूद्ध अपील अथवा क्रोस ऑब्जक्शन प्रस्तुत करते। अब अपील की अंतिम सुनवाई के समय रेस्पोडेंट संख्या 1 को तनकी संख्या 3 के संबंध में आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। उक्त तर्कों पर बल देते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.11.1979 को निरस्त कर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया तथा खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा भूमि के संबंध में अपीलाण्ट को खातेदार घोषित किये जाने व इस भूमि के संबंध में बेदखली की डिक्री प्रदत्त किये जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए यह विधिक स्थिति प्रकट की कि यद्यपि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 3 के संबंध में पारित निष्कर्ष के विरूद्ध लिखित में क्रोस ऑब्जक्शन प्रस्तुत नहीं किया है लेकिन सिविल प्रक्रिया संहिता में सन् 1976 में हुये संशोधन के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के किसी विपरीत निष्कर्ष के विरूद्ध लिखित में प्रत्याक्षेप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है तथा बिना प्रत्याक्षेप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये भी अधीनस्थ न्यायालय के किसी निष्कर्ष को बहस के प्रक्रम पर चुनौती दी जा सकती है। अपने इस तर्क के समर्थन में वकील अपीलाण्ट ने न्यायदृष्टान्त आर.आर.डी. 1989 पृष्ठ 423 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया जो इस प्रकार है – "Civil procedure code- order 41 rule 22- it wa not necessary for the respondent to file cross objection against adverse finding recorded by appellate court claim of plaintiff that dispute land was joint family property

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

not substantiated" व इसके अलावा आर.आर.डी. 1988 पृष्ठ 654, इस प्रकार है " Civil procedure code, order 41 rule 22 Respondent can support judgement of court below on any ground without filing cross objections.-- RRD 1988 Page 654. इसके अतिरिक्त आर.एल.डब्ल्यू. 2014 (1) पृष्ठ 803 व ए.आई.आर. 1999 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 3571 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3 के संबंध में पारित निर्णय को इस अपील में चुनौती दिये जाने हेतु रेस्पोडेंट को अधिकार होने का तर्क दिया। रेस्पोडेंट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त न्याय दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धांतो के अनुसार यह विधिक स्थिति स्पष्ट हुई है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में सन् 1976 में हुये संशोधन के उपरान्त रेस्पोडेंट को अधीनस्थ न्यायालय के किसी निष्कर्ष के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अन्य पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में ऐसे विपरीत निष्कर्ष को बिना प्रत्याक्षेप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये भी ऐसे निष्कर्ष को चुनौती दी जा सकती है। अतः रेस्पोडेंट द्वारा प्रत्याक्षेप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किये जाने मात्र से उन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 3 के संबंध में पारित निष्कर्ष को चुनौती दिये जाने से वंचित नहीं किया जा सकता तथा अपीलाण्ट की यह आपत्ति की कि रेस्पोडेंट ने विवाद्यक संख्या 3 के संबंध में पारित निर्णय के संबंध में क्रोस ऑब्जक्शन प्रस्तुत नही किये जाने से तनकी संख्या 3 के निष्कर्ष को चुनौती नहीं दे सकते, अस्वीकार की जाती है।

10. रेस्पोडेंट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा के संबंध में प्रमाणकन के लिए पर्चा नोटिस श्री गुलाब सिंह के नाम दिनांक 07.08.1964 को ही जारी हो चुका था तथा पूर्ण जांच उपरान्त पर्चा लगान नंबर 118 गुलाब सिंह पुत्र गोपाल सिंह के नाम जारी हुआ। यह पर्चा लगान अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 5 से पूर्व का है। वस्तुतः अपीलाण्ट ने भूप्रबंध विभाग के अधिकारियों से मिलकर खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा भूमि का पर्चा लगान अपने नाम दर्ज करवाकर मिथ्या आधारों पर यह वादपत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेंट ने उक्त दस्तावेज पुराने कागजो में रखे होने के कारण अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन किया है। रेस्पोडेंट ने इस प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा इतनी लम्बी अवधि तक इन दस्तावेजो को प्रस्तुत न कर सकने का कोई आधार अंकित नही किये जाने से यह प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया। रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा से संबंधित असल दस्तावेज है जिनका अस्तित्व प्रदर्श 5 से पूर्व का है। न्यायहित में इस अपील के विचारण में यह दस्तावेज सुसंगत होने से इन दस्तावेजो को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किये जाने की अनुमति दी जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

11. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण किसी प्रमाणिक दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित करने में असफल रहे है कि खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा भूमि उनके पूर्वजों की खसरा नंबर 90 की 98 बीघा 9 बिस्वा का भाग रही हो। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण को इस तथ्य को सुदृढ़ साक्ष्य से साबित करना आवश्यक था कि क्या गांव कलासर की रोही में खसरा नंबर 90 में मात्र 98 बीघा 19 बिस्वा भूमि ही थी। इस तथ्य को साबित करने के लिए अपीलाण्ट/वादीगण ने गांव कलासर की पुराने खसरो से नवीन खसरा बनने की तालिका प्रस्तुत नहीं की है तथा ना ही यह साबित किया है कि गांव कलासर में खसरा नंबर 90 सिर्फ 98 बीघा 19 बिस्वा का ही था या खसरा नंबर 90 में अन्य भूमि भी थी। वादीगण ने इस संबंध में मात्र पटवारी की रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 ही प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने गांव कलासर में खसरा नंबर 90 की कुल भूमि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है बल्कि खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा भूमि का पुराना खसरा नंबर 90मिन/26 बीघा 5 बिस्वा बताया है जबकि अपीलाण्ट खसरा नंबर 90 की 98 बीघा 19 बिस्वा होना बता रहे है। अपीलाण्ट ने जानबूझकर खसरा परिवर्तन तालिका प्रस्तुत नहीं की है जबकि इसके विपरीत अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी 4 से यह साबित है कि गुलाब सिंह वल्द गोपाल सिंह की भूमि जो गत खसरों में थी, के नवीन खसरे बताये गये है। प्रदर्श पी 4 में श्री गुलाब सिंह की भूमि का पुराना खसरा नंबर 90 मिन था तथा इस साबिका खसरा की 26 बीघा 9 बिस्वा का नया खसरा नंबर 392 श्री गुलाब सिंह की खातेदारी भूमि से संबंधित है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट का यह तर्क भी रहा है कि अपीलाण्ट ने इस तथ्य पर ज्यादा बल दिया है कि भूप्रबंध विभाग ने उसके पक्ष में पर्चा लगान प्रदर्श पी 5 जारी किया है। भूप्रबंध विभाग ने दिनांक 07.08.1964 को ही खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा भूमि सहित कुल 107 बीघा का प्रमाणाकन के लिये पर्चा नोटिस गुलाब सिंह पुत्र गोपाल सिंह को जारी किया था जिसमें साबिका खसरा नंबर 90 मिन की 26 बीघा 9 बिस्वा से नया खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा भूमि दर्ज है व प्रमाणकन पर्चा नोटिस के आधार पर पर्चा लगान संख्या 118 जारी हुआ। अपीलाण्ट ने प्रदर्श पी 5 पर्चा लगान भूप्रबंध विभाग के अधिकारियों से साजिश रचकर अपने पक्ष में बाद में तैयार करवाया है। प्रश्नगत भूमि खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा भूमि रेस्पोडेंट की खुदकाश्त की थी तथा इस भूमि पर अपीलाण्ट ने अपने कब्जा काश्त को साबित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात् माली रकम की रसीद आदि प्रस्तुत नहीं की है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी प्रदर्श पी 7 से भी इस भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा साबित नहीं है। अपीलाण्ट ने प्रश्नगत भूमि के संबंध में अपने वादपत्र में जिस पूर्ववर्ती वादपत्र प्रस्तुत करने एवं इस वादपत्र में स्थगन आदेश जारी होने व दिनांक 04.07.1977 को यह वादत्र वापिस लेने संबंधी कथनों के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

प्रश्नगत भूमि पर अपना कब्जा होना व रेस्पोडेंट द्वारा बेदखल कर दिये जाने के तथ्य साबित नहीं कर सके तथा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा सिद्ध नहीं होने से इस विवाद्यक का निर्णय अपीलाण्ट के विरूद्ध सही तौर पर पारित किया है।

12. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने विवाद्यक संख्या 3 के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष को चुनौती देते हुये यह तर्क दिया है कि प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेंट की जागीर भूमि थी तथा यह भूमि रेस्पोडेंट की खुद काश्त की होने अथवा न होने के संबंध में राजस्व न्यायालय को किसी प्रकार का निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं था बल्कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्गहण अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय जागीर कमिश्नर को ही रेस्पोडेंट की जागीर भूमि के संबंध में निर्णय पारित करने का अधिकार था। रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट की उक्त भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं होने की आपत्ति भी उठाई थी जिस पर तनकी संख्या 5 कायम की गई थी लेकिन इस कानूनी तनकी को साक्ष्य का मोहताज मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने का आधार लेकर रेस्पोडेंट के विरूद्ध निर्णीत की गई है जो गलत है। विद्वान अधिवक्ता ने राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 23(2) की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जागीर भूमि के संबंध में जागीर कमिश्नर को ही अधिकारिता होने व इस अधिनियम की धारा 46 के अनुसार जागीर भूमि के संबंध में दीवानी अथवा राजस्व न्यायालय को अधिकार तय करने का क्षेत्राधिकार नहीं होने का तर्क दिया तथा इस संबंध में न्यायदृष्टान्त आर.आर.डी. 1986 पृष्ठ 3, आर.एल.डब्ल्यू. 1991 (2) पृष्ठ 361, आर.आर.डी. 1988 पृष्ठ 644, आर.आर.डी. 1979 पृष्ठ 595 सुप्रीम कोर्ट व आर.आर.डी. 1969 पृष्ठ 299 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

13. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने विवाद्यक संख्या 4 के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष को चुनौती देते हुये यह तर्क दिया कि वादी का प्रश्नगत भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा तथा ना ही वादी ने यह साबित किया है कि उसे रेस्पोडेंट द्वारा कब बेदखल कर दिया गया। प्रश्नगत भूमि सम्वत् 2011 से ही रेस्पोडेंट के कब्जा काश्त में चली आ रही है। इस कारण रेस्पोडेंट का वाद पत्र मियाद बाहर था।

14. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया व अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का विवेचन किया गया। इस तनकी के अन्तर्गत वादीगण को यह साबित करना था कि उनके खसरा नंबर 90 की 98 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से ही खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा भूमि नये खसरों में पैमूद हुई हो और इस 26 बीघा 9 बिस्वा पर अपीलाण्ट का कब्जा रहा हो। इसके विपरीत रेस्पोडेंट की ओर से यह तर्क दिया गया है कि गांव कलासर में खसरा नंबर 90 में कुल कितनी भूमि थी, इस तथ्य को

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलण्ट ने साबित नहीं किया है तथा प्रश्नगत 26 बीघा 9 बिस्वा भूमि खसरा नंबर 90मिन से परिवर्तित होकर खसरा नंबर 392 में पैमूद हुई है। इस भूमि पर अपीलाण्ट का कभी कब्जा रहा हो, यह तथ्य भी साबित नहीं हुआ है। अपीलाण्ट ने जमाबंदी प्रदर्श 1 प्रस्तुत की है जो सम्वत् 2013 से 2016 की खसरा नंबर 90 व 140 से संबंधित है व खसरा नंबर 90 की 98 बीघा 19 बिस्वा पर भूरजी की काश्त होना अंकित है। प्रदर्श 3 में वादीगण के नवीन खसरा नंबर 372, 378, 393, 394, 460 व 461 में कुल 89 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज है। प्रदर्श 3 के अनुसार भी खसरा नंबर 90 की 98 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से 89 बीघा 15 बिस्वा के नये खसरे प्रदर्श 3 में दर्ज है तथा शेष लगभग 9 बीघा भूमि ही रहती है। अतः अपीलाण्ट की खसरा नंबर 392 में 26 बीघा 9 बिस्वा भूमि शेष रहने का तथ्य साबित नहीं है। अपीलाण्ट स्वयं ने प्रदर्श 4 प्रस्तुत किया है जिसमें गुलाब सिंह पुत्र गोपाल सिंह की खातेदारी भूमि के पुराने खसरा व नवीन खसरो का उल्लेख है जिसमें खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा भूमि पुराने खसरा 90मिन से बने है तथा प्रदर्श 4 में पर्चा लगान नंबर 118 व 286 का उल्लेख है। रेस्पोडेंट द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत प्रमाणाकन पर्चा नोटिस असल प्रस्तुत किया है जो दिनांक 07.08.1964 का जारी है जिसमें खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा का पुराना खसरा 90मिन अंकित है तथा पर्चा लगान नंबर 118 में खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा गुलाब सिंह के नाम दर्ज है। इस प्रकार प्रदर्श 5 से पूर्व ही सन् 1964 में यह भूमि पर्चा नोटिस के अन्तर्गत खसरा नंबर 90मिन से खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा में परिवर्तित हो चुकी थी। अपीलाण्ट ने प्रदर्श 5 भूप्रबंध विभाग से सम्वत् 2029 अर्थात् सन् 1972 में जारी करवाया है जबकि उससे पूर्व प्रमाणाकन पर्चा नोटिस सन् 1964 में ही गुलाब सिंह के नाम जारी हो चुका था। अपीलाण्ट ने प्रश्नगत 26 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर अपना कब्जा होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है बल्कि जो गिरदावरीया प्रस्तुत की है, उसमें भी अपीलाण्ट का कब्जा साबित नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाण्ट ने स्वयं को रेस्पोडेंट द्वारा बेदखल कर दिये जाने के संबंध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। यद्यपि वादपत्र में अपीलाण्ट ने पूर्ववर्ती वादपत्र प्रस्तुत किये जाने, उस वादपत्र में स्थगन आदेश पारित होने व स्थगन आदेश के बावजूद रेस्पोडेंट द्वारा जबरन बेदखल कर दिये जाने के कारण इस पूर्ववर्ती वादपत्र को प्रत्याहृत कर लिये जाने के कथन है लेकिन इन तथ्यों के संबंध में अपीलाण्ट ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यों का विवेचन करते हुए विवाद्यक संख्या 1 व 2 का निर्णय अपीलाण्ट के विरूद्ध निर्णीत किया है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने के कोई आधार नहीं है।

15. तनकी संख्या 3 का निर्णय पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट को गांव कलासर का जागीरदार होने में कोई संदेह व्यक्त नहीं किया है लेकिन इस भूमि पर गुलाब सिंह का कब्जा न मानकर व राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अधिनियम के लागू होने के बाद रिज्यूम होना मानकर इस भूमि को आराजीराज दर्ज करने का आदेश दिया है जबकि इसके विपरीत अपीलाण्ट/वादीगण ने इस भूमि पर गुलाब सिंह का कब्जा मानते हुए बेदखली का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का जागीरदार होना मानकर उसकी जागीर की भूमि को बहक सरकार लेने का आदेश क्षेत्राधिकारिता रहित है। इस संबंध में रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टान्त व अधिनियम सन् 1952 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार जागीर भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नही रहने से तनकी संख्या 3 के संबंध में पारित निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से हस्तक्षेप योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के वादपत्र का मियाद बाहर होने के संबंध में कोई विवेचना नहीं की है। वादीगण प्रश्नगत भूमि पर अपना कब्जा होने व उसे बेदखल कर दिये जाने के तथ्य को साबित नहीं किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट की यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा को आराजीराज घोषित करने का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

16. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत भूमि को आराजीराज दर्ज किये जाने का आदेश अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावें। डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

25/7/22

(करतार सिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़